न्यायालयः अपर सेशन न्यायाधीश, राजगढ़ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी : डॉ. लेखपाल शर्मा, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

जमानत आवेदन संख्या : 150/2026
सी.आई.एस. नंबर : 110/2026

01. सचिन कुमार फागना पुत्र प्रभूदयाल फागना उम्र 23 साल निवासी नीमला पुलिस थाना टहला, जिला अलवर (राज.)

.....प्रार्थी/अभियुक्त

ब ना म

राजस्थान सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक, राजगढ जिला अलवर।

"प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 97/2026 पुलिस थाना टहला, अलवर अपराध अन्तर्गत धारा 317(2), 318(2), 318(4), 112(2), 61(2)(ए) भारतीय न्याय संहिता व 66डी आईटी एक्ट

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस

उपस्थित :
(1) विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष दीक्षित, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
(2) विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री राहुल दीक्षित, राज्य की ओर से।

:: आदेश ::

दिनांकः 12 अगस्त, 2026

01. प्रार्थी/अभियुक्त **सचिन कुमार** की ओर से यह जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. पेश किया गया। जिसकी नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गयी। केस डायरी तलब की गयी।

02. बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी। केस डायरी का अवलोकन किया गया।

03. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी जैकम खान सउनि द्वारा दिनांक 20.04.2026 को वापसी थाना एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट पुलिस थाना टहला, अलवर में इन तथ्यों की पेश की गई कि, "पुलिस मुख्यालय द्वारा राज्य स्तर पर संदिग्ध म्युल बैंक खातों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में 14सी पोर्टल द्वारा प्राप्त संदिग्ध डन्स्म् अकाउण्ट की लिस्ट उसे पुलिस अधीक्षक कार्यालय की साईबर सैल अलवर से प्राप्त हुई सूची में शामिल संदिग्ध खाता संख्या 3316001500024108 पंजाब नेशनल बैंक की जाँच की गई। दौराने जांच खाता संख्या 3316001500024108 पर एक कम्पलेंट उडीसा से होना पाई गई, जिसमें कुल 50,000/—रूपये का फ्रॉड हुआ है, जिसमें से दिनांक 22.11.2025 को विवादित राशि 50,000/—रूपये शख्स हर्षित सैन के उपरोक्त बैंक खाता संख्या में प्राप्त होना ज्ञात

हुआ। उक्त डन्स्म अकाउण्ट के संबंध में खाताधारक हर्षित सैन को थाने पर तलब कर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसका दोस्त सचिन फागना ऑनलाईन साईबर फ्रॉड का काम करता है। सचिन फागना ने उससे कहा कि मुझे ऑनलाईन साईबर फ्रॉड की रकम डलवाने के लिए बैंक खाते की आवश्यकता है, तू मुझे अपना खाता दे, मैं तुझे कमीशन पर रूपये दे दूंगा। इस पर उसने 5,000/–रूपये कमीशन पर उसका मोबाईल फोन, जिसमें फोन–पे अकाउण्ट बना हुआ था, जो उपरोक्त पीएनबी खाता से लिंक था तथा उपरोक्त खाता की बैंक पासबुक सचिना फागना को दे दिये थे। इस प्रकार शख्स हर्षित सैन द्वारा खाते में साईबर फ्रॉड के द्वारा अर्जित राशि को गिरोह बनाकर व संगठित होकर आपराधिक षडयंत्र करके आम लोगों के साथ छल–कपट करके झांसे में लेकर बैंकों में खाते खुलवाकर व कमीशन पर लेकर आम लोगों के साथ साईबर फ्रॉड कर पैसों का लेनदेन कर अवैधानिक राशि को हस्तान्तरण में उपभोग अभ्यस्त किया गया है।..... इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 97/2026 थाना टहला, अलवर अन्तर्गत धारा 317(2), 318(2), 318(4), 112(2), 61(2)(क) भारतीय न्याय संहिता 2023 व 66डी आईटी एक्ट संशोधन अधिनियम 2008 में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

04. बहस के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने मुख्यतः अपने जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी/अभियुक्त को पुलिस थाना टहला, अलवर की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 97/2026 में गिरफतार किया गया था तथा प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 480 बी.एन.एस.एस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त बेगुनाह है, जिसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है बल्कि उक्त प्रकरण में उसे झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी होना शेष नहीं है। उक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा जो पासबुक व एटीएम कार्ड आरोपी हर्षित सैन से जब्त किए गए है जिससे स्पष्ट है कि हर्षित सैन के द्वारा ही लेनदेन किया गया है जबकि प्रार्थी के बैंक खाते के लेनदेन से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त एक पढने लिखने वाला छात्र है जो जयपुर में रहकर नौकरी की तैयारी कर रहा है, जिसके विरूद्ध आज तक कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी के बंद हवालात रहने से उसका जीवन खराब हो जायेगा। प्रार्थी ग्राम नीमला थाना टहला, अलवर का निवासी है, जिसके जमानत के दौरान कही फरार या भागने का अंदेशा नहीं है। ऐसी स्थिति में संवेदनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए जाने का निवेदन किया।

05. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने आवेदन का कडा विरोध करते हुए कथन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त पर आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है तथा जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

06. उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया गया एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया।

07. केस डायरी पर उपलब्ध तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त सचिन कुमार के विरूद्ध धारा **318(4), 112(2), 61(2)(ए) भारतीय न्याय संहिता व 66डी आईटी एक्ट** के गंभीर प्रकृति के अपराध का आरोप है। केस डायरी के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड निम्न है।

क.सं.	मुकदमा नंबर	अपराध अंतर्गत धारा	पुलिस थाना	परिणाम
1.	126/2026	317(2), 318(4), 61(2)(ए) भारतीय न्याय संहिता व 66डी आईटी एक्ट	टहला, जिला अलवर	चार्जशीट संख्या 123/2026
2.	153/2026	317(2), 318(2), 318(4), 61(2)(ए) भारतीय न्याय संहिता व 66डी आईटी एक्ट	—	जैर अनुसंधान

08. प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में 02 आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है, जो हस्तगत प्रकरण में आरोपित अपराध से संबंधित है। हस्तगत प्रकरण में आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का होकर संगठित अपराध की श्रेणी का है। केस डायरी पर ठगी का विवरण व ऑनलाईन ठगी की राशि अंकित है। **साथ ही यह उल्लेखनीय है कि स्थानीय क्षेत्र विशेष में ऑनलाईन ठगी के संबंध में बैंक अकाउण्ट किराए पर लिए व किराए पर उपलब्ध कराए जाने संबंधी अपराधों में निरन्तर वृद्धि हो रही है, जिसका उपयोग करते हुए आमजन की जमा बैंक राशि की ठगी की जा रही है।**

अतः केस डायरी पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह दर्शित नहीं होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त को मिथ्या रूप से प्रकरण में संलिप्त माना गया हो। ऐसी स्थिति में प्रकरण में आरोपित अपराध की गंभीरता, ठगी के विवरण व ऑनलाईन ठगी की राशि के तथ्य एवं प्रकरण के समग्र तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

09. फलतः प्रार्थी/अभियुक्त **सचिन कुमार** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त को निःशुल्क दिलाई जावे।

(डॉ. लेखपाल शर्मा)

10. आदेश आज दिनांक 12.08.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. लेखपाल शर्मा)